संख्या 27/11/2012-SRS

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रक्षिशण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितम्बर, 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून

विषय: सर्वश्री राकेश कुमार तथा राम किशोर, आरक्षी, गृह विभाग का अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दिशानिदेश के अंतर्गत राज्य पुनरावंटन ।

महोदय,

ऊपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 10-07-2012 को आयोजित बेठक में सर्वश्री राकेश कुमार तथा राम किशोर, आरक्षी, गृह विभाग के प्रकरण पर पुनर्विचार किया गया । इस मामले पर दिनांक 09-02-2012 को आयोजित समिति की बैठक में भी चर्चा हुई थी जिसमे समिति द्वारा यह पाया गया कि इन दोनों कार्मिकों के समनाम एक से अधिक कार्मिक है । अतः समिति ने यह निदेश दिया था कि इन दोनों कार्मिकों को चिन्हित किया जाए एवं इनके मूल निवास तथा जाति के बारे में पता लगाया जाए । बैठक में विभागीय प्रतिनिधि द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि यह दोनों आरक्षी अनुसूचित जाति के कार्मिक है तथा उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी है । अतः समिति द्वारा सर्वश्री राकेश कुमार तथा राम किशोर, आरक्षी, गृह विभाग का दिनांक 24-06-2010 के आदेश में निहित दिशानिदेशों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटित किए जाने कि संस्तुति की गई ।

भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार सर्वश्री राकेश कुमार तथा राम किशोर, आरक्षी, गृह विभाग का राज्य पुनरावंटन अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दिशानिदेशों के अंतर्गत उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश राज्य के लिए किया जाता है । संबंधित कार्मिक को आवंटन के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. श्री आर0के0 सुधान्शु, अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section
25 SEP 2012